

167
24

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार
दिनांक 28/10/24 को पेश होगी

28
10
24

पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी दाखिल। बयान भी लिख
प्रार्थी एकपक्षीय हुनी गई। बयान पर मनन किया
जाया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का
आवलोकन किया गया। दूल्हार बंकरे का हों
दौराने काद किवाडि भूमि के मोंठे की स्थिति में परिवर्तन
हुने तथा हिस्सा किमेष भूमि का बँचान करने पर
प्रार्थी के हित प्रभावित होते हैं। अतः आवेदन प्रार्थी
की स्वीकार किया जा रहा है। अप्रार्थीपक्ष की जलिये
आस्थाई निषेधादा से मन्तरिन रूपसे पाक-डू किया
जा रहा है कि दौराने काद किवाडि भूमि के मोंठे की
अथालियरि बनाये रखे तथा हिस्सा किमेष भूमि
का बँचान नहीं करे। उक्त स्थान आरेम शब्द
प्रधार, किधुर कमेम्बन, चालू/ज्यालि रात्ता,
यात्रु केंठे रहन पर लागू नहीं होगा। पत्रावली
फैसल अन्तर्गत होकर नक्का से कम हो। दाखिल
दफतर हो। निर्णय आज में हुस्सादन से हुनाय। गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

निवेदिता उपखण्ड
प्रकारि

आज के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
18/10/24